न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीदासर (चूरू)

पिठासीन अधिकारी :- श्योराम वर्मा आर.ए.एस

प्र.मु 26 / 2019 दिनांक 03-10-19

1. गीतादेवी पत्नी पुरखाराम उम्र 42 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम बाढ़सर तहसील बीदासर जिला चूरू
2. मनीष नाबालीग उम्र 27 वर्ष
3. जगदीश नाबालिग उम्र 16 वर्ष पुत्रगण पुरखाराम जाति जाट निवासीगण ग्राम बाढ़सर तहसील बीदासर जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती गीतादेवी पत्नी पुरखाराम जाति जाट निवासी ग्राम बाढ़सर तहसील बीदासर जिला चूरू ....

.प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब बीदासर जिला चूरू
2. कानी देवी पत्नी भैराराम जाति जाट निवासी ग्राम बाढ़सर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
3. तुलछा पुत्री भैराराम जाति जाट निवासी ग्राम बाढ़सर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
4. नेमाराम पुत्र. भैराराम जाति जाट निवासी ग्राम बाढ़सर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
5. नराणाराम पुत्र भैराराम जाति जाट निवासी ग्राम बाढ़सर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
6. रामचन्द्र पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी ग्राम बाढ़सर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
7. रामूराम पुत्र भैराराम जाति जाट निवासी ग्राम बाढ़सर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
8. सीताराम पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी ग्राम बाढ़सर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
9. उम्मेदसिंह पुत्र शिवदानसिह जाति राजपूत निवासी ग्राम बाढ़सर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
10. करणीसिंह पुत्र शिवदानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बाढ़सर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
11. प्रहलादसिंह पुत्र शिवदानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बाढ़सर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
12. राजूसिंह पुत्र शिवदानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बाढ़सर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
13. लालसिंह पुत्र शिवदानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बाढ़सर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
14. विमला पुत्री अमरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बाढ़सर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
15. हीरा पत्नी अमरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बाढ़सर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान

.......................अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र राजस्व रेकार्ड में नाम संशोधन कराने

धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :- रघुवीर भांमू एडवोकेट वास्ते प्रार्थीगण

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीदासर

दिनांक 03-10-19

निर्णय

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के संक्षीप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीनीगण के एंव अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 15 के संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नंम्बर 802 / 210 तादादी 9.1054 हैक्टेयर एवं खसरा नंम्बर 508 तादादी 13.9742 हैक्टेयर वाके रोही बाढ़सर तहसील बीदासर जिला चूरू है उपरोक्त खसरा भूमि में मुबाबीक रेकॉर्ड हिस्सा पांती हिस्सा नियत है प्रार्थीगण के पति व पिता पुरखाराम के स्वर्गवास के पश्चात वादगत खेतो का विरास्तन नामान्तरकरण पटवारी हल्का ने राजस्व रिकार्ड मे अंकन करते वक्त लगती से प्रार्थीगण संख्या 2 व 3 का नाम मुन्नीराम पुत्र पुरखाराम एंव राजूराम पुत्र पुरखाराम अंकित कर दिया जबकि प्रार्थीगण संख्या 2 व 3 का नाम मनीष पुत्र पुरखाराम जगदीश पुत्र पुरखाराम के नाम राजस्व रिकार्ड मे अंकित करना चाहिए था जो नही हुआ जबकि प्रार्थीगण संख्या 2 व 3 के अन्य दस्वावेज

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

भामाशाड, आधारकार्ड एंव स्कुल मे सही नाम मनीष एंव जगदीश अंकित है इसलिए प्रार्थीगण संख्या 2 व 3 के लिए आवश्यक हो गया की वोह वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी मे उपरोक्त खसरा भूमि मे अपने सही नाम मनीष एंव जगदीश अंकित करवाकर वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे संशोधन करये जिसके लिए कानूनी अधिकारी है। आदि आदि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने यह प्रार्थना पत्र दिनांक 4/7/2019 को पेश किया प्रार्थनात्र दर्ज रजिस्ट्र किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया बावजूद तलबी के कोई हाजीर नही अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 15 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से भी कोई जबाब प्रस्तुत नही हुआ प्रार्थीनी गीता देवी ने अपने प्रार्थनापत्र के समर्थन मे दस्तावेज प्रमाणीत प्रति जमाबन्दी, राशन कार्ड, परिचय पत्र, भामाशाह कार्ड, आधारकार्ड स्वय का, आधार कार्ड जगदीश का, आधार कार्ड मनीष का आदी पेश किये व प्रार्थीनी गीता देवी का शपथपूर्वक बयान न्यायालय मे स्वय उपस्थित होकर लेखबद्ध करवाए। प्रार्थीगण नाबालिग होने के कारण यह प्रार्थना–पत्र जरिये माता गीता देवी प्राकृतिक संरक्षीका होने के नाते यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया अधिवक्ता ने कथन किया की प्रार्थीगण संख्या 2 वा 3 का वास्तविक नाम मनीष व जगदीश है पटवारी हल्का ने विरासतन नामातरकरण दर्ज करते वक्त गलती से प्रार्थीगण संख्या 2 व 3 का नाम मुन्नीराम व राजूराम अंकित कर दिया जो सही नही किया प्रार्थीगण संख्या 2 वा 3 का राजस्व रिकार्ड खेत खसरा नम्बर 802/210 तादादी 9.1054 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 508 तादादी 13.9742 हैक्टेयर वाके रोही बाढ़सर तहसील बीदासर जिला चूरू के वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थीगण के सही नाम मनीष पुत्र पुरखाराम एंव जगदीश पुत्र पुरखाराम अंकित किय जाकर संशोधन करने का आदेश फरमावे।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली व उपलब्ध दस्वावेज वादगत कृषि भूमि की जमाबन्दी व अन्य दस्तावेज परिवार राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के आधार कार्ड वा प्रर्थीनी गीता देवी के ब्यानो का अवलोकन किया प्ररस्तुत दस्तावेजात से यह स्पप्ट होता है कि प्रार्थीगण संख्या 2 व 3 का खेत खसरा नम्बर 802/210 व खसरा नम्बर 508 रोही बाढ़सर तहसील बीदासर जिला चूरू के खातेदार काश्तकार है जिनका वर्तमान राजस्व रिकार्ड संशोधन किया जाकर मुन्नीराम पुत्र पुरखाराम के स्थान पर मनीष पुत्र पुरखाराम व राजूराम पुत्र पुरखाराम के स्थान पर जगदीश पुत्र पुरखाराम करवाने के कानूनी अधिकारी है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थन पत्र स्वीकार किया जाना न्याय की दृष्टि से समूचित समझता हूॅ।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र इस कदर स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थीगण संख्या 2 व 3 का खेत खसरा नम्बर 802/210 तादादी 9.1054 खसरा नम्बर 508 तादादी 13.9742 हैक्टेयर वाकि रोही बाढ़सर तहसील बीदासर जिला चूरू के वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे संशोधन कर मुन्नीराम पुत्र पुरखाराम के स्थान पर मनीष पुत्र पुरखाराम व राजूराम पुत्र पुरखाराम के स्थान पर जगदीश पुत्र पुरखाराम अंकित किया जावे। तहसीलदार बीदासर को तहरीर जारी हो। खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना अनलर वहन करे।

यह आदेश आज दिनांक 03/10/2019 खुले न्यायालय मे सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर चूरु